उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-41/2018/288/छप्पन-2018-34/2014
लखनऊ, दिनांक : 19 अप्रैल, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर श्री अरूण कुमार को कार्यालय ज्ञाप संख्या-1077/छप्पन-2014-19/2011, दिनांक 02 जुलाई, 2014 द्वारा रूपए 2,50,000/- (रूपए दो लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अरूण कुमार द्वारा 21 जुलाई, 2014 को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। तदुपरान्त पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर श्री अरूण कुमार की संविदा अवधि को शासनादेश संख्या-68/2016/767/छप्पन-2016-34/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 से दिनांक 20 जुलाई, 2018 तक की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 20 जुलाई, 2018 को समाप्त हो रही है।

निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या- 890/ना0उ0नि0/2018, दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यरत श्री अरूण कुमार जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 से 12000 किलोग्राम भार से अधिक जेट वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 का पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में पृष्ठांकन रखते हैं, का मासिक पारिश्रमिक रू0 05 लाख से रूपए 07 लाख प्रति माह की रेंज में दिनांक 12 अप्रैल, 2017 से रू0 07 लाख प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए अग्रेतर 05 वर्ष (दिनांक 21 जुलाई, 2018 से 20 जुलाई, 2023 तक) की संविदा अवधि बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अरूण कुमार की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

3- श्री अरूण कुमार से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री अरूण कुमार (संविदा),
पायलट (फिक्स्ड विंग),
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0 एयरपोर्ट, लखनऊ।

2:--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 41/2018/288(1)/छप्पन-2018, तद्दिनांक।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- कार्मिक अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।